भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 923

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**अनिवासी भारतीय मतदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष मतदान**

**923. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**

**श्रीमती अम्बिका सोनी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों के लिए अप्रत्यक्ष मतदान की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पंजीकृत अनिवासी भारतीयों के लिए अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसी मतदाता को एक प्रवासी मतदाता की तरफ से अप्रत्यक्ष मतदाता के तौर पर मानने के लिए क्या मानदंड निर्धरित किए गए हैं और सरकार इसमें गोपनीयता बनाए रखने एवं अनुचित वित्तीय लेन-देन पर रोक सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करेगी ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** विदेशी निर्वाचकों को व्यक्तिगत रूप से या परोक्ष रूप से मतदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र में लोक सभा में एक विधेयक पेश किया गया है ।

**(ख) और (ग)** : इस विषय पर नियमों को, संसद द्वारा विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात्, भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*